

फा.सं.2/6/2022-सा.11  
संघ लोक सेवा आयोग  
सामान्य-11 अनुभाग

**विषय :** संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/भर्ती परीक्षाओं के दौरान बायोमेट्रिक कैचरिंग और प्रमाणीकरण/क्यूआर कोड स्कैनिंग और वीडियो निगरानी के कार्यान्वयन के लिए प्रायोगिक (पायलट) परियोजना

संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक विवरणों का मिलान/क्रॉस-चेक करने के लिए और परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी के लिए भी वर्तमान प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का इरादा रखता है। इस संबंध में, आयोग बायोमेट्रिक कैचरिंग और प्रमाणीकरण, उम्मीदवारों के डिजिटल फिंगरप्रिंट कैचरिंग, ई-एडमिट कार्ड की क्यूआर कोड स्कैनिंग और परीक्षा स्थलों की लाइव सीसीटीवी निगरानी करना चाहता है। प्रारंभ में, परियोजना को भारत के 15 शहरों में लगभग 100 स्थानों पर लगभग 19,000 उम्मीदवारों के साथ आयोग की एक भर्ती परीक्षण/परीक्षा में पायलट आधार पर लागू किया जाना है (उम्मीदवारों, स्थानों और शहरों की संख्या घट या बढ़ सकती है)। कार्य का विस्तृत क्षेत्र/तकनीकी विनिर्देश अनुबंध-1 में देखे जा सकते हैं। तदनुसार, उक्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए इस क्षेत्र में प्रामाणिक रिकॉर्ड और प्रासंगिक अनुभव रखने वाली प्रतिष्ठित भारतीय फर्मों / पीएसयू से ऑन-लाइन बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। मैनुअल बोलियां स्वीकार नहीं की जाएंगी।

**सामान्य निबंधन एवं शर्तें**

**क्रिटिकल डेट शीट**

सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित किए जाने की तारीख	23.09.2022
दस्तावेज के डाउनलोड प्रारंभ करने की तारीख	23.09.2022
दस्तावेज को डाउनलोड करने की अंतिम तारीख	14.10.2022
बोली प्रस्तुतीकरण के प्रारंभ होने की तारीख	23.09.2022
स्पष्टीकरण प्रारंभ करने की तारीख	23.09.2022
स्पष्टीकरण की अंतिम तारीख	04.10.2022
ऑन-लाइन निविदा को अपलोड करने की अंतिम तारीख	14.10.2022
तकनीकी बोलियों को खोलने की तिथि और समय	17.10.2022
धरोहर जमा राशि (ईएमडी)	Rs. 2,00,000/-

बोलियां सीपीपी वेब-साइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर केवल ऑन-लाइन प्रस्तुत की जाएंगी

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर ई-प्रापण के लिए केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल के माध्यम से बोलियों के ऑन-लाइन ई-प्रस्तुतीकरण संबंधी अनुदेश में दिए गए अनुदेशों का अनुपालन करें

बोली दस्तावेज को श्वेत एवं श्याम विकल्प सहित 100 डीपीआई के साथ स्कैन किया जा सकता है जो स्कैन किए गए दस्तावेजों के आकार को कम करने में मदद करता है।

#### 1. बोली प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया

निविदा, दो भागों में अर्थात् तकनीकी बोली और मूल्य बोली में ऑन-लाइन प्रस्तुत की जाएगी प्रस्तुत की जा रही बोली के सभी पृष्ठों को दस्तावेजों की सामग्री की प्रकृति के बावजूद अपलोड करने से पहले बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित और क्रमिक रूप से क्रमांकित किया जाना चाहिए। फैंक्स/ई-मेल या किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस मामले में किसी भी प्रकार के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

#### (1) तकनीकी बोली:-

निविदा दस्तावेज के अनुसार बोलीदाता द्वारा तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं :-

- (i) 2,00,000/- रु. की धरोहर जमा राशि (ईएमडी) की हस्ताक्षरित तथा स्कैन की गई प्रति।
- (ii) पैन कार्ड की हस्ताक्षरित स्कैन की गई प्रति
- (iii) वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति
- (iv) पिछले तीन वर्षों के अर्थात् 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के फर्म के आय कर रिटर्न की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की हुई प्रतियां।
- (v) पिछले तीन वर्षों की अर्थात् 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के फर्म की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट्स, लाभ और हानि अकाउंट की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति
- (vi) कंपनी के निगमन प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित स्कैन की हुई प्रति।
- (vii) पिछले पांच वर्षों के दौरान कार्य आदेश और पूर्णता प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित स्कैन की हुई प्रति
- (viii) आईएसओ 9001 और आईएसओ 27001 (सूचना संरक्षा प्रबंधन प्रणाली मानक)/ एसटीक्यूसी प्रमाण पत्र की हस्ताक्षरित स्कैन प्रतियां
- (ix) कार्य क्षेत्र के संबंध में तकनीकी अनुपालन रिपोर्ट की (अनुबंध-II के अनुसार) हस्ताक्षरित स्कैन प्रति
- (x) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-III के अनुसार) की हस्ताक्षरित स्कैन प्रति

- (xi) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित वचनबंध (अनुलग्नक-III क के अनुसार) की स्कैन की हुई प्रति
- (xii) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित घोषणा (अनुलग्नक-IV के अनुसार) की स्कैन की हुई प्रति
- (xiii) जांचसूची (अनुलग्नक-VI) के अनुसार सभी समर्थित दस्तावेजों की हस्ताक्षरित स्कैन की गई प्रतियां।

**(ख) मूल्य बोली :-**

बोलीदाता अनुबंध-V में निर्धारित मूल्य अनुसूची प्रपत्र के अनुसार बीओक्यू (.xls) प्रारूप में अपनी दरें प्रस्तुत करेगा। दरें करों को छोड़कर उद्धृत की जानी चाहिए। करों को दरों के साथ अलग से उद्धृत किया जाएगा।

(ग) सचिव संघ लोक सेवा आयोग को देय डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/बैंकर्स चेक/बैंक गारंटी/सावधि जमा रसीद के रूप में 2,00,000/- रुपये (केवल दो लाख रुपये) की धरोहर जमा राशि ईएमडी की मूल लिखत की हार्ड प्रति, सं.लो.से.आ. को क्रिटिकल डेटशीट में यथाउल्लिखित बोली जमा करने की अंतिम तिथि / समय पर या उससे पहले सं.लो.से.आ. में पहुंचाना अनिवार्य है

**2. देर से प्राप्त होने वाली बोलियां**

देर से प्राप्त बोलियां अर्थात बोलियां प्राप्त होने के लिए विनिर्दिष्ट तिथि और समय के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. बोली, बोलियां खोलने की तारीख से 180 दिनों की अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।

**4. धरोहर जमा राशि**

- (i) 2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र) रुपये की धरोहर जमा राशि (ईएमडी) डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/बैंकर्स चेक/बैंक गारंटी/सावधि जमा रसीद के रूप में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, दिल्ली/नई दिल्ली को देय जमा करनी होगी। सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के नियम 170 में दिए गए प्रावधान के अलावा धरोहर जमा राशि जमा करने से कोई छूट नहीं दी जाएगी। ऐसी बोलियों को जो बिना धरोहर जमा राशि के या फिर उपर्युक्त निर्धारित रूप के अलावा किसी अन्य रूप से जमा किए गए हैं, तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा
- (ii) धरोहर जमा राशि अंतिम बोली वैधता अवधि के बाद पैंतालीस दिनों की अवधि के लिए वैध रहनी चाहिए।
- (iii) असफल बोलीदाताओं की धरोहर जमा राशि निविदा को अंतिम रूप देने के बाद उन्हें वापस कर दी जाएगी। सं.लो.से.आ. द्वारा किसी भी परिस्थिति में धरोहर जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

## 5. कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि

- (i) सफल बोलीदाता को अनुबंध के मूल्य के 3% की दर से कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि प्रस्तुत करनी होगी। कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि वारंटी दायित्वों, यदि कोई हो, सहित सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने के नब्बे दिनों तक वैध रहेगी। कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/बैंक गारंटी के रूप में सचिव, सं.लो.से.आ दिल्ली के पक्ष में देय होगी। कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि को आयोग द्वारा परियोजना के संतोषजनक समापन तक बरकरार रखा जाएगा।
- (ii) यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि सं.लो.से.आ. द्वारा निर्धारित कार्यक्षेत्र और समय के अनुसार कार्य पूरा नहीं होने की स्थिति में, कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि को जब्त कर लिया जाएगा। यह परिसमापन नुकसान/जुर्माना, यदि कोई हो, के अतिरिक्त होगा, जो कि इसके निबंधन और शर्तों में निर्दिष्ट के अनुसार लगाया जा सकता है। कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि प्राप्त होने पर सफल बोलीदाता को धरोहर जमा राशि वापस कर दी जाएगी। कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि पर किसी भी परिस्थिति में सं.लो.से.आ. द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

## पात्रता मानदंड

6. बोलीदाता एक कंपनी / पी एसयू होनी चाहिए जो भारतीय विधियों के तहत पंजीकृत हो। तकनीकी बोली के साथ निगमन प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा।

7. बोलीदाता को एक लाभ कमाने वाली कंपनी होनी चाहिए और पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में से प्रत्येक वर्ष के दौरान उसका वार्षिक कारोबार कम से कम 20 लाख होना चाहिए। टर्नओवर के समर्थन में, बोलीदाता निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :-

- (i) पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात् 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए फर्म का आयकर रिटर्न।
- (ii) पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात् 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए फर्म का लेखा परीक्षित बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता।

8. बोलीदाता ने परीक्षा कार्य में शामिल सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), लोक सेवा आयोगों या सरकारी निकायों/संगठनों में पिछले 5 (पांच) वर्षों के दौरान एकल पारी में कम से कम 50,000 उम्मीदवारों के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण / उम्मीदवारों के डिजिटल फिंगरप्रिंट कैचरिंग, ई-प्रवेश पत्र की क्यूआर कोड स्कैनिंग और

परीक्षा-आधारित परियोजनाओं में परीक्षा स्थलों की लाइव सीसीटीवी निगरानी से संबंधित कम से कम 02 (दो) परियोजनाओं को निष्पादित किया हो इस संबंध में तकनीकी बोली के साथ कार्या आदेश एवं पूर्णता प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न की जानी हैं। उपरोक्त के अलावा, वेंडर के पास अनुबंध-1क में सूचीबद्ध 15 शहरों में एक ही स्लॉट में 20,000 उम्मीदवारों के लिए प्रायोगिक परियोजना संचालित करने की क्षमता भी होनी चाहिए। इस संबंध में, वेंडर अनुबंध-111क में उल्लिखित प्रपत्र के अनुसार एक वचनबद्ध प्रस्तुत करेगा।

9. कंपनी के पास ISO 9001 और ISO 27001 (सूचना संरक्षा प्रबंधन प्रणाली मानक)/एसटीक्यूसी प्रमाणपत्र होना चाहिए। तकनीकी बोली के साथ दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

10. बोलीदाता के पास परीक्षाओं के संवेदनशील डेटा के भंडारण के लिए अपना/किराए का भारत के भीतर 2 अलग-अलग स्थानों पर टियर-3 डेटा सेंटर और डीआर रिकवरी केन्द्र होना चाहिए।

#### **अन्य निबंधन एवं शर्तें :-**

11. बोलीदाता को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें कहा गया हो कि निविदा के सभी नियम और शर्तें उन्हें स्वीकार्य हैं (अनुलग्नक-111)। बोलीदाता को कार्य क्षेत्र के संबंध में खंड तकनीकी अनुपालन रिपोर्ट (अनुलग्नक-11) द्वारा एक खंड भी प्रस्तुत करना होगा विचलन होने की स्थिति में बोलीदाता को विचलन तथा तकनीकी विनिर्देशों एवं वाणिज्यिक शर्तों के प्रावधानों में छूट का विवरण देना होगा हालांकि, सं.लो.से.आ. के पास उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा और ऐसे विचलन के साथ बोली पर विचार करने से इनकार करने संबंधी कारण बताने के लिए बाध्य नहीं होगा।

12. काल्पनिक और सशर्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

13. एजेंसी, सही तरीके से कार्य करने वाले उपकरणों की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होगी और परीक्षण/परीक्षा के दिन के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कर्मियों को तैनात करना होगा।

14. पायलट परियोजना को आगामी भर्ती परीक्षण (आर टी)/परीक्षा में निष्पादित किया जाना है। देश भर के 15 शहरों में लगभग 100 स्थानों पर आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षण/परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की संख्या 19,000 (लगभग) है। भर्ती परीक्षण/परीक्षा के लिए उम्मीदवारों, स्थानों और शहरों की संख्या केवल सांकेतिक है और आयोग की आवश्यकताओं और निर्णय के आधार पर भिन्न हो सकती है।

15. दरों को केवल भारतीय रुपये में उद्धृत किया जाएगा और इसमें स्थानों/केंद्रों पर परिवहन और सिस्टम की स्थापना से संबंधित सभी शुल्क शामिल होंगे।

16. दरों के साथ कर अलग से उद्धृत किया जाएगा। अन्यथा, उद्धृत दरों को करों सहित माना जाएगा और बाद में करों को जोड़ने के किसी भी अनुरोध पर इस कार्यालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
17. आयकर : निविदा बिलों से स्रोत पर वसूली योग्य, जैसा लागू हो।
18. बोली जमा करने की समय सीमा और यहां निर्दिष्ट बोली वैधता की अवधि की समाप्ति के बीच के अंतराल में कोई भी बोली वापस नहीं ली जा सकती है। अंतराल के दौरान बोली को वापस लेने पर ऐसे बोलीदाता की धरोहर जमा राशि जब्त हो सकती है।
19. फर्म या फर्म के संबंधित डिवीजन के किसी अन्य फर्म द्वारा अधिग्रहण/खरीदे जाने की स्थिति में, समझौते के तहत सभी दायित्व और निष्पादन जिम्मेदारियां नई फर्म को हस्तांतरित हो जाएंगी।
20. बोलीदाता को पिछले पांच वर्षों में किसी भी संगठन/बोर्ड/परिषद/विश्वविद्यालय/आयोग और किसी अन्य सरकारी/पीएसयू/सरकारी उपक्रम संगठन द्वारा प्रतिबंधित/ब्लैक लिस्ट न किया गया हो
21. बोलीदाता अनिवार्यतः कार्यक्षेत्र सहित एनआईटी के निबंधन और शर्तों के अनुसार कार्य निष्पादित करेगा।
22. आयोग द्वारा सूचित की गई आवश्यकता के अनुसार वेंडर को सभी स्थानों/केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्था करनी होगी।
23. बोली अनिवार्यतः अनुबंध-1 में उल्लिखित कार्यक्षेत्र के अनुरूप होनी चाहिए। सभी बोलीदाताओं को तकनीकी अनुपालन विवरण (अनुलग्नक-11) भरना आवश्यक है, जिसके बिना बोली अस्वीकार की जा सकती है।
24. **जोखिम खरीद खंड :** यदि फर्म बोली जमा करने और उसकी विधिवत स्वीकृति के बाद अर्थात् आदेश देने के पश्चात निविदा दस्तावेज के निबंधनों और शर्तों का पालन करने में विफल रहता है और/या निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य निष्पादित करने में विफल रहता है या किसी भी समय अनुबंध अस्वीकार कर देता है, तो सं.लो.से.आ. को धरोहर जमा राशि को जब्त करने, फर्म द्वारा जमा की गई निष्पादन सुरक्षा राशि को लागू करने और फर्म के जोखिम और खर्च पर अन्य फर्म से काम करवाने का अधिकार होगा। वैकल्पिक व्यवस्था और फर्म की बोली मूल्य के बीच लागत अंतर को अन्य आकस्मिक शुल्कों के साथ फर्म से वसूल किया जाएगा। यदि सं.लो.से.आ. को वैकल्पिक स्रोतों के माध्यम से काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और यदि लागत कम है, तो इस का कोई लाभ फर्म को नहीं दिया जाएगा।

25. **बोलियों का मूल्यांकन**

- (i) तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन पात्रता मानदंड, कार्यक्षेत्र का अनुपालन और निविदा के अन्य निबंधनों एवं शर्तों के आधार पर किया जाएगा।
- (ii) केवल उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी जिनकी तकनीकी बोली को सं.लो.से.आ. के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है। एल-1 बोलीदाता का निर्णय करों सहित बोलीदाता द्वारा उद्धृत कुल दरों के आधार पर किया जाएगा।

26. फर्म सं.लो.से.आ की पूर्व अनुमति के बिना परियोजना से संबंधित कोई भी विवरण, जो भी हो, किसी को भी नहीं बताएगी।

27. फर्म परिचालन पहलुओं को उप-अनुबंधित नहीं करेगी और परियोजना के सुरक्षित और सुचारू कार्य निष्पादन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी।

28. **परिसमापन क्षति** : सफल वेंडर को अनिवार्यतः कार्यक्षेत्र के अनुसार और निविदा के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार कार्य को निष्पादित करना होगा। निविदा के निबंधनों एवं शर्तों का पालन नहीं कर पाने की स्थिति में, सं.लो.से.आ, किसी भी अन्य अधिकार या मौजूदा उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वेंडर से, वेंडर द्वारा जमा की गई कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि की जब्ती के अलावा परिसमापन क्षति के रूप में इस कार्यालय द्वारा सुनिश्चित / आकलित राशि की वसूली करेगा

29. **भुगतान की शर्तें** :

- (i) फर्म द्वारा परीक्षा/भर्ती परीक्षण के सफल आयोजन और सं.लो.से.आ. की उपयोगकर्ता शाखा/आईएस विंग की संतुष्टि स्वरूप पूरा डाटा सौंपने पर 75% भुगतान जारी किया जाएगा।
- (ii) शेष 25% का भुगतान साक्षात्कार के संचालन और डेटा के विश्लेषण, फर्म द्वारा विसंगतियों में सुधार, यदि कोई हो, और उपयोगकर्ता शाखा / आयोग के आईएस विंग द्वारा प्रमाणीकरण के बाद जारी किया जाएगा।

30. **अप्रत्याशित घटना** : फर्म, तर्कसंगत कारणों से परे के कारणों से अथवा प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध, दंगे, व्यापार प्रतिबंध, हड़ताल, तालाबंदी, किसी सरकारी प्राधिकरण के कार्य, कानून के तहत लाइसेंस प्राप्त होने में देरी अथवा आवेदनों का अस्वीकरण, बिजली कटौती, दुर्घटना, व्यवधान या फर्म के बिना किसी दुर्भावनापूर्ण कृत्य से उत्पन्न कार्यों, आग लगने अथवा बाढ़ की वजह से कार्य निष्पादन नहीं कर पाने के लिए जिम्मेदार नहीं होगी जिस एजेंसी के लिए इस अनुबंध मूल्य के तहत दायित्वों को पूरा करना असंभव हो जाता है, उसे अप्रत्याशित परिस्थितियों की शुरुआत और समाप्ति के लिए आयोग को किसी भी परिस्थिति में अपरिहार्य घटना शुरू होने पर

तत्काल और किसी भी स्थिति में दस (10) दिनों के बाद नहीं, आयोग को लिखित रूप में अधिसूचित करना होगा

31. **मध्यस्थता:** सं.लो.से.आ. और फर्म के बीच या इस अनुबंध के निष्कर्ष, अर्थ और संचालन या प्रभाव या इसके उल्लंघन से संबंधित किसी भी विवाद या अंतर का समाधान मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार सं.लो.से.आ. द्वारा नियुक्त किए जाने वाले मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा और उसके अनुसरण में लिया गया निर्णय संघ लोक सेवा आयोग और फर्म के लिए बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता का स्थान दिल्ली में होगा।
32. **क्षेत्राधिकार :** मध्यस्थता के अध्यक्षीन उपर्युक्त के अलावा इस करार के कारण कोई वाद या कार्रवाई जो दोनों पक्षों में से किसी के भी अधिकार का हनन करती हो, दिल्ली में दायर की जाएगी तथा उस पर केवल दिल्ली के न्यायालय में ही न्यायिक जांच होगी और अन्य किसी न्यायालय में नहीं होगी तथा दोनों पक्ष ऐसे न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करने के प्रति स्वेच्छा से सहमत होंगे
33. सं.लो.से.आ. के पास बिना कोई कारण बताए सभी या किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा सचिव सं.लो.से.आ का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
34. निविदा सूचना संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट [www.upsc.gov.in](http://www.upsc.gov.in) पर भी उपलब्ध है

(आर.के. दीक्षित)  
अवर सचिव (सामा. II)



## कार्य क्षेत्र

सं.लो.से.आ एक शीर्ष निकाय है जिसे संघ की सेवाओं में नियुक्ति संबंधी परीक्षा आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है। एक कैलेंडर वर्ष में, सं.लो.से.आ भारत सरकार के ग्रुप 'ए' और ग्रुप 'बी' पदों में शामिल करने के लिए कई भर्ती परीक्षाओं और साक्षात्कारों के साथ 13 प्रमुख परीक्षाएं आयोजित करता है। पारदर्शी परीक्षा योजना के उद्देश्य को सुदृढ़ करने और उम्मीदवारों के कदाचार को रोकने के लिए आयोग, वीडियो निगरानी, ई-प्रवेश पत्र की क्यूआर कोड स्कैनिंग और ई-प्रवेशपत्र अनुक्रमांकों के लिए डिजिटल फिंगरप्रिंट कैप्चरिंग और साक्षात्कार के समय प्रमाणीकरण के माध्यम से निगरानी करने के लिए प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को शामिल करने की इच्छा रखता है

### क. परीक्षाओं/भर्ती परीक्षाओं के दौरान लाइव सीसीटीवी निगरानी के लिए

#### परियोजना के उद्देश्य :

सं.लो.से.आ देश भर के विभिन्न शहरों/उप-केंद्रों में सुरक्षित वातावरण में आयोग की परीक्षा आयोजित करने के लिए उम्मीदवारों और तैनात अन्य व्यक्तियों की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी के लिए रिकॉर्डिंग और लाइव प्रसारण प्रणाली के साथ सीसीटीवी/वीडियो निगरानी को कार्यान्वित करने का इच्छुक है। प्रायोगिक परियोजना के रूप में, अखिल भारत के 15 शहरों में लगभग 100 स्थानों पर वीडियो निगरानी सुविधा अपेक्षित है। प्रत्येक स्थल के लिए लगभग 10-12 सीसीटीवी कैमरों की आवश्यकता होगी, जो गलियारों, शौचालयों के बाहर के क्षेत्रों, प्रवेश द्वार और उसके नियंत्रण कक्ष को कवर करते हों। परीक्षा के आयोजन से कम से कम दो सप्ताह पहले सं.लो.से.आ. द्वारा परीक्षा कार्यक्रम और परीक्षा केंद्रों / स्थानों की विस्तृत सूची प्रदान की जाएगी। बोलीदाता को निम्नलिखित कार्यों के साथ अपेक्षित वीडियो निगरानी प्रणाली की स्थापना/कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होगा।

1. सीसीटीवी रंगीन कैमरों की स्थापना परीक्षा की निर्धारित तिथि से कम से कम एक दिन पहले की जानी चाहिए और/या इस तरह से की जानी चाहिए कि सीसीटीवी, परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से एक घंटे पहले और परीक्षा समाप्त होने के आधे घंटे बाद तक चालू रहे
2. केंद्रों पर सीसीटीवी उपकरणों को स्थापित करने की व्यवस्था करना तथा अपेक्षित जनशक्ति उपलब्ध करवाना।
3. बोलीदाता को भारत के दो अलग-अलग स्थानों पर पूरे डेटाबेस और एप्लिकेशन सर्वर को बनाए रखना होगा, एक साइट को डीसी (डेटा सेंटर-क्लाउड आधारित) और दूसरी साइट को डीआर (आपदा रिकवरी- क्लाउड आधारित) बनाना होगा।

4. सीसीटीवी फीड डेटा संरक्षित वीपीएन टनल के माध्यम से ट्रेपज होना चाहिए और एक प्रति क्लाउड आधारित स्टोरेज पर होनी चाहिए।
5. लाइव सीसीटीवी निगरानी के मामले में, सं.लो.से.आ , नई दिल्ली में नियंत्रण कक्ष की सेट-अप के लिए डेटा को प्रसारित करने के लिए कैमरों को इंटरनेट से जोड़ा जाना चाहिए। बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षित वातावरण में परीक्षा की पूरी अवधि के दौरान हर समय सं.लो.से.आ. नियंत्रण कक्ष में कम से कम 90% लाइव कैमरा फीड उपलब्ध कराना होगा
6. सं.लो.से.आ नियंत्रण कक्ष में लाइव सीसीटीवी फीड की कई स्ट्रीमिंग/देखने के लिए, बोलीदाता द्वारा स्थापित एलईडी स्क्रीन को राज्य, शहर और परीक्षा केंद्र की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए।
7. बोलीदाता को सं.लो.से.आ कंट्रोल रूम में पर्याप्त जनशक्ति और लैपटॉप के साथ कम से कम 10 x 12 फीट की वीडियो स्क्रीन/दीवार उपलब्ध करानी होगी।
8. परीक्षा की अवधि के दौरान, किसी भी तकनीकी खराबी आदि के कारण सीसीटीवी सुविधा बाधित नहीं होनी चाहिए, और बोलीदाता परीक्षा के संचालन के दौरान और संबंधित कार्य का कार्य आदेश में उल्लिखित समय अवधि के अनुसार सीसीटीवी के पर्याप्त बैकअप के साथ सीसीटीवी के संचालन का पूरा ध्यान रखेगा।
9. बोलीदाता को परीक्षा के सफल समापन के 10 दिनों के भीतर पूरी परीक्षा अवधि की पूरी रिकॉर्डिंग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
10. बोलीदाता द्वारा सं.लो.से.आ कंट्रोल रूम में कंप्यूटर/लैपटॉप और जनशक्ति उपलब्ध करवायी जाएगी।
11. प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर इंटरनेट और अन्य व्यवस्थाएं बोलीदाता के कार्यक्षेत्र के दायरे में होंगी।
12. आपात स्थिति में बोलीदाता के पास पर्याप्त संख्या में रंगीन सीसीटीवी कैमरे (बैकअप के रूप में) उपलब्ध होने चाहिए।
13. बोलीदाता को विशेष रूप से संबंधित परीक्षा केंद्रों के गलियारों और नियंत्रण कक्ष में उम्मीदवारों की गतिविधियों की बारीकी से निगरानी के लिए सं.लो.से.आ. द्वारा प्रदान किए गए केंद्रों की सूची के अनुसार सीसीटीवी कैमरा स्थापित करना होगा।

सीसीटीवी कैमरे के लिए तकनीकी विनिर्देश

क्र. सं.	विशेषता	विनिर्देश	टिप्पणियां
1.	इमेज सेंसर	1/3" 2एमपी एचक्यूआईएस प्रो इमेज सेन्सर	
2.	न्यूनतम रोशनी	0.01एलयूएक्स/एफ2.1(रंगीन),ओएलयूएक्स/ एफ2.1 (आईआर ऑन)	
3.	शटर गति	ऑटो / मैनुअल, 1s-1/100000s	
4.	श्वेत संतुलन	ऑटो / मैनुअल	
5.	गेन कंट्रोल (एजीसी)	ऑटो / मैनुअल	
6.	लेंस	3.6एमएम ( 6एमएम वैकल्पिक)	
7.	बैक लाइट कम्पन्सेशन	बीएलसी/एचएलसी/डीडब्ल्यूडीआर	
8.	एस/एन अनुपात	50 डी बी से अधिक	
9.	वीडियो कम्प्रेसन	एच.264/ एच .264एच / 11.2648/ एमजेपीईजी	
10.	रेसोल्यूशन	1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/01(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240)	
11.	फ्रेम रेट	मेन स्ट्रीम :1080पी(1 25/30एफपीएस), सब स्ट्रीम:01(1 25/30एफपीएस)	
12.	प्राइवैसी मास्क	4 क्षेत्रों तक	
13.	आईसीआर	ऑटो (आईसीआर)/रंगीन/बी/डब्ल्यू	
14.	प्रोटोकॉल	आईपीवी 4/1पीवी6, एचटीटीपी , एचटीटीपीएस , एसएसएल, टीसीपी/आईपी, यूडीपी, यूपीएनपी, आईसीएमपी, आईजीएमपी, एसएनएमपी, आरटीएसपी, आरटीपी, एसएमटीपी, एनटीपी, डीएचसीपी, डीएनएस, पीपीपीओई, डीओएनएस, एफटीपी, आईपी फ़िल्टर, ओएनवीआईएफ, क्यूओएस, बोनजोर	
15.	ईथरनेट	14.1-45 (10/100बेस-टी)	
16.	स्मार्ट फोन	आईफोन, आई पैड, एंड्रॉयड, विंडो फोन	
17.	आईआर	30 Mtr. या अधिक की आईआर रेंज	
18.	इंग्रेस प्रोटेक्शन	आईपी67	

	ऑपरेटिंग तापमान	-30°C+60°C, 95 प्रतिशत आरएच से कम	
20.	पावर स्रोत	डीसी12वी, पीओई (802.3ए0	
21.	पावर खपत	<3.8डब्ल्यू(आईआर ऑन)	
22.	डाइमेंशन	0108एमएम x 84एमएम	
23.	वजन	0.25 किलो (पैकेज के साथ 0.38 किलो) या कम	

## ख. क्यूआर कोड/बारकोड की स्कैनिंग के लिए

### परियोजना के उद्देश्य :

सं.लो.से.आ. उम्मीदवारों के ई-प्रवेश पत्र पर मुद्रित क्यूआर कोड/बारकोड की स्कैनिंग सुविधा को लागू करना चाहता है, जो देश भर में फैले विभिन्न शहरों/उप-केंद्रों में सुरक्षित वातावरण में आयोग की परीक्षाओं के दौरान उम्मीदवार की पहचान को प्रमाणित करने के लिए सुरक्षा की एक अतिरिक्त लेयर प्रदान करता है। एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में, अखिल भारत के 15 शहरों में लगभग 100 स्थानों पर क्यूआर कोड/बारकोड सुविधा की स्कैनिंग अपेक्षित है। प्रत्येक 72 उम्मीदवारों के लिए कम से कम एक क्यूआर कोड/बारकोड स्कैनर एकीकृत हैंड-हेल्ड पोर्टेबल डिवाइस/टैबलेट अपेक्षित है। परीक्षा के आयोजन से कम से कम दो सप्ताह पहले परीक्षा कार्यक्रम और परीक्षा केंद्रों / स्थलों की विस्तृत सूची सं.लो.से.आ. द्वारा सफल बोली लगाने वाले को प्रदान की जाएगी। बोलीदाता को निम्नलिखित कार्यों के साथ ई-प्रवेश पत्र में क्यूआर कोड/बारकोड की स्कैनिंग के लिए मॉड्यूल का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होगा: -

1. सं.लो.से.आ., बोलीदाता को सभी पंजीकृत उम्मीदवारों के केंद्र-वार उम्मीदवार डाटा (अनुक्रमांक, फोटो, नाम, परीक्षा तिथि / शिफ्ट, केंद्र विवरण आदि) प्रदान करेगा। बोलीदाता इस डेटा का उपयोग परीक्षा के दौरान और प्रक्रिया के बाद के चरणों में उम्मीदवार की पहचान को सत्यापित करने के लिए ई-प्रवेश पत्र पर मुद्रित क्यूआर कोड/बारकोड की स्कैनिंग के माध्यम से उम्मीदवार के विवरण को सत्यापित करने के लिए करेगा।
2. बोलीदाता को परीक्षा के समय प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर जनशक्ति के साथ क्यूआर कोड/बारकोड स्कैनर एकीकृत हैंड-हेल्ड पोर्टेबल डिवाइस/टैबलेट स्थापित करना होगा।
3. बोलीदाता द्वारा तैनात जनशक्ति को, परीक्षा के दिन परीक्षा समय से कम से कम दो घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना चाहिए और एक टैबलेट पर उम्मीदवारों का डेटा डाउनलोड करना चाहिए।
4. कार्यान्वित उपाय में संरक्षित वेब सर्वर के माध्यम से वास्तविक-समय उपस्थिति निगरानी प्रणाली का प्रावधान होना चाहिए।
5. बोलीदाता को भारत के भीतर दो अलग-अलग भूकंपीय क्षेत्रों में पूरे डेटाबेस और एप्लिकेशन सर्वर को बनाए रखना है, जिसमें एक साइट को डीसी (डेटा सेंटर) और दूसरी साइट को डीआर (आपदा रिकवरी) बनाया जाना है।
6. केंद्र में मौजूद बोलीदाता की जनशक्ति को उम्मीदवार के विवरण वाले क्यूआर कोड/ बारकोड को स्कैन करना होगा ताकि उम्मीदवार के विवरण को एप्लिकेशन डेटाबेस (सं.लो.से.आ द्वारा प्रदत्त) से स्वतः प्राप्त किया जा सके। स्कैनिंग प्रक्रिया के दौरान छात्र की जानकारी तुरंत प्राप्त कर ली जाती है और उसका तुरंत मिलान और सत्यापन किया जा सकता है।

7. संपूर्ण स्कैनिंग प्रक्रिया, ई-प्रवेश पत्र क्यूआर कोड/बारकोड स्कैनिंग सॉफ्टवेयर से लोड टैबलेट डिवाइस के माध्यम से पूरी की जानी चाहिए। परीक्षा शुरू होने से पहले सभी गतिविधियों को पूरा किया जाना चाहिए।
8. सुरक्षा द्वार में प्रवेश के समय बोलीदाता को आवेदन डेटाबेस (सं.लो.से.आ द्वारा प्रदत्त) के साथ उम्मीदवार के फोटो का वास्तविक सत्यापन करना होगा।
9. क्यूआर कोड/बारकोड स्कैनिंग गतिविधि को किसी भी आधार पर रोका नहीं जाएगा और परीक्षा की निर्धारित समय अवधि के दौरान स्कैनिंग/सत्यापन कार्य पूरा किया जाना अनिवार्य है
10. बोलीदाता को हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में किसी भी डेटा को नहीं लेना चाहिए और कार्य निर्दिष्ट परीक्षा केंद्रों में किया जाना है।
11. बोलीदाता परीक्षा के दौरान और सं.लो.से.आ द्वारा यथानिर्धारित प्रक्रिया के बाद के चरणों के दौरान प्रत्येक 72 उम्मीदवारों पर कम से कम एक क्यूआर कोड / बारकोड स्कैनर एकीकृत हैंड-हेल्ड पोर्टेबल डिवाइस / टैबलेट प्रति व्यक्ति नियुक्त करेगा। आपात स्थिति के मामले में सामान्य प्रैक्टिस के अनुसार अतिरिक्त हैंड-हेल्ड डिवाइस उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
12. बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी उपकरण काम कर रहे हों और प्रत्येक उम्मीदवार के ई-प्रवेश पत्र का क्यूआर कोड / बारकोड स्कैन किया गया हो, जो प्रत्येक केंद्र पर परीक्षा में उपस्थित हुए हों।
13. यदि किसी केंद्र पर परीक्षा एक दिन में दो या दो से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है, तो परीक्षा की अवधि के दौरान गतिविधि सभी पालियों में अलग-अलग की जानी चाहिए।
14. काम पूरा होने के बाद, बोलीदाता को सं.लो.से.आ को स्व-प्रमाणित केन्द्र-वार कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
15. सॉल्यूशन लैपटॉप/पीसी आधारित नहीं होना चाहिए। यह केवल क्यूआर कोड/बारकोड स्कैनर एकीकृत हैंड-हेल्ड पोर्टेबल डिवाइस/टैबलेट होना चाहिए।

## ग. डिजिटल फिंगर-प्रिंट कैप्चरिंग के लिए

### परियोजना का उद्देश्य :

सं.लो.से.आ., परीक्षा हॉल में उम्मीदवारों के लिए डिजिटल फिंगर-प्रिंट कैप्चरिंग सुविधा को कार्यान्वित करना चाहता है, जो देश भर के विभिन्न शहरों / उप-केंद्रों में संरक्षित वातावरण में आयोग की परीक्षाओं के दौरान उम्मीदवार की पहचान को प्रमाणित करने के लिए संरक्षा की एक अतिरिक्त लेयर प्रदान करता है। प्रायोगिक (पायलट) परियोजना के रूप में, अखिल भारत के 15 शहरों में लगभग 100 स्थानों पर डिजिटल फिंगर प्रिंट कैप्चरिंग सुविधा अपेक्षित है। प्रत्येक 72 उम्मीदवारों के लिए कम से कम एक हैंड-हेल्ड पोर्टेबल डिवाइस/टैबलेट अपेक्षित है। परीक्षा कार्यक्रम और परीक्षा केंद्रों/स्थानों की विस्तृत सूची सं.लो.से.आ द्वारा सफल बोलीदाताओं को परीक्षा शुरू होने से कम से कम दो सप्ताह पहले प्रदान की जाएगी। बोलीदाता को निम्नलिखित कार्यों के साथ परीक्षा हॉल में ई-प्रवेश पत्र अनुक्रमांक की डिजिटल फिंगरप्रिंट कैप्चरिंग के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना होगा : -

1. सं.लो.से.आ बोलीदाता को सभी पंजीकृत उम्मीदवारों के केंद्र-वार डेटा (अनुक्रमांक, फोटो, नाम, परीक्षा तिथि / शिफ्ट आदि) प्रदान करेगा। इसके बाद बोलीदाता इस डेटा को सभी शिफ्टों के लिए संबंधित केंद्र विवरण के संबंध में अपने क्लाउड पर अपलोड करेगा। अपलोड किए गए डेटा का उपयोग परीक्षा हॉल में प्रवेश पत्र अनुक्रमांक के संबंध में फिंगरप्रिंट कैप्चरिंग और परीक्षा प्रक्रिया के बाद के चरणों के दौरान उम्मीदवार के सत्यापन के लिए किया जाएगा।
2. बोलीदाता को बायोमेट्रिक कैप्चरिंग गतिविधि करने के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर जनशक्ति के साथ फिंगरप्रिंट कैप्चरिंग और चेहरा पहचान के लिए क्यूआर कोड स्कैनर एकीकृत हैंड-हेल्ड डिवाइस तैनात करना होगा।
3. संबंधित केंद्रों पर तैनात हैंड-हेल्ड डिवाइस में केंद्र-वार उम्मीदवार डेटा डाउनलोड किया जाए, यह गतिविधि परीक्षा से एक दिन पहले की जानी चाहिए। सभी उपकरणों में डेटा, सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड प्रारूप में संग्रहीत होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसे रिवर्स इंजीनियर नहीं किया जा सकता है।
4. उम्मीदवार के प्रवेश पत्र पर रोल नंबर वाले क्यूआर कोड को स्कैन किया जाना चाहिए / आवेदन डेटाबेस (सं.लो.से.आ द्वारा प्रदत्त) से उम्मीदवार के विवरण को स्वतः प्राप्त करने के लिए पढ़ा जाना चाहिए और यदि प्रवेश पत्र पर क्यूआर अंकित नहीं है, तो रोल नंबर की मैन्युअल प्रविष्टि के साथ उम्मीदवार की जानकारी देनी होगी। इसके बाद हैंड-हेल्ड डिवाइस द्वारा उम्मीदवार के फिंगरप्रिंट डेटा को कैप्चर किया जाएगा। यह गतिविधि परीक्षा हॉल के प्रवेश द्वार और प्रत्येक पाली में की जाएगी। सभी गतिविधियों को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले पूरा किया जाना चाहिए।

5. सॉल्युशन में सुरक्षित केंद्रीय वेब सर्वर के माध्यम से वास्तविक-समय उपस्थिति मॉनीटरिंग प्रणाली का प्रावधान होना चाहिए।
6. बोलीदाता को भारत के भीतर दो अलग-अलग भूकंपीय क्षेत्रों में पूरे डेटाबेस और एप्लिकेशन सर्वर को बनाए रखना होगा, जिसमें एक साइट डीसी (डेटा सेंटर) और दूसरी साइट डीआर (आपदा रिकवरी) के रूप में बनाई जाए
7. उपरोक्त गतिविधि के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि:
  - केंद्र C1 में निर्दिष्ट उम्मीदवार को किसी अन्य केंद्र C2 में नामांकित नहीं किया जा सकता है।
  - नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार के रोल नंबर को मैन्युअल रूप से दर्ज करते समय, अलग-अलग रोल नंबर वाले 2 उम्मीदवारों को किसी भी टाइप संबंधी त्रुटि के कारण एक ही रोल नंबर पर नामांकित नहीं किया जाना चाहिए।
8. सिस्टम में प्रत्येक नामांकन और टाइम स्टैम्प में जीपीएस निर्देशांक के साथ नामांकन गतिविधि की वास्तविक समय निगरानी का प्रावधान होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नामांकन निर्धारित शिफ्ट के दौरान किया गया है।
9. नामांकन रिकॉर्ड की पुनरावृत्ति से बचने के लिए बोलीदाता को डेटाबेस में डी-डुप्लीकेशन एल्गोरिथम को कार्यरत करना चाहिए।
10. बायोमेट्रिक गतिविधि किसी भी आधार पर बंद नहीं की जाएगी और परीक्षा की निर्धारित समय अवधि के दौरान डेटा कैप्चरिंग/पहचान कार्य पूरा किया जाना चाहिए।
11. कार्यक्षेत्र के अनुसार गतिविधि के पूरा होने के बाद, बोलीदाता, एचडीडी में संपूर्ण कैप्चर किए गए डेटा को सीलबंद करके जिस पर परीक्षा का नाम लिखा हो के साथ रिपोर्ट और बोलीदाता द्वारा निर्धारित हस्ताक्षरित अग्रेषण पत्र को परीक्षा के दिन सं.लो.से.आ को सौंपना होगा
12. बोलीदाता को हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में किसी भी डेटा को ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और कार्य निर्दिष्ट परीक्षा केंद्रों में किया जाना है।
13. बोलीदाता को सं.लो.से.आ द्वारा यथानिर्धारित साक्षात्कार/सत्यापन प्रक्रिया के समय परीक्षा के दौरान लिए गए डेटा से उम्मीदवारों की पहचान सत्यापित करनी होगी।
14. बोलीदाता सं.लो.से.आ द्वारा यथानिर्धारित विभिन्न परीक्षा चरणों के दौरान प्रत्येक 72 उम्मीदवारों पर कम से कम एक हैंड-हेल्ड फिंगरप्रिंट स्कैनर / चेहरा पहचान डिवाइस प्रति व्यक्ति तैनात करेगा। आपात स्थिति में सामान्य प्रैक्टिस के अनुसार अतिरिक्त हैंड-हेल्ड डिवाइस उपलब्ध कराए जाने चाहिए।



15. बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी उपकरण कार्य कर रहे हों और प्रत्येक केंद्र पर परीक्षा में उपस्थित होने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के फिंगरप्रिंट और फोटो खींचे गए हों।
16. यदि केंद्र में परीक्षा एक दिन में दो या दो से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है, तो परीक्षा की अवधि के दौरान गतिविधि सभी पालियों में अलग-अलग की जानी चाहिए।
17. काम पूरा होने के बाद, बोलीदाता को सं.लो.से.आ को स्व-प्रमाणित केन्द्र वार कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
18. सॉल्यूशन लैपटॉप/पीसी आधारित नहीं होना चाहिए। यह केवल एसटीक्यूसी अनुमोदित हैंड-हेल्ड स्कैनर के साथ एकीकृत हैंड-हेल्ड डिवाइस होना चाहिए।

संयुक्त भर्ती परीक्षण

क्रम सं.	केन्द्र का नाम / शहर
1	अहमदाबाद
2	भोपाल
3	चेन्नई (मद्रास)
4	दिल्ली
5	दिसपुर (गुवहाटी)
6	जयपुर
7	जम्मू
8	कोच्चि (कोचीन)
9	कोलकाता
10	लखनऊ
11	मुंबई
12	नागपुर
13	पोर्ट ब्लेयर
14	रांची
15	विशाखापटनम

**कार्य-क्षेत्र के संदर्भ में अनुपालन रिपोर्ट**

हम (फर्म का नाम) ----- एतद्वारा निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार निम्नानुसार तकनीकी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं :-

क्रम सं.	विवरण	अनुपालन रिपोर्ट (हां या नहीं)	पृष्ठ सं.
1	हम, कार्य-क्षेत्र (अनुबंध-I) और नि.आ.सू. के अन्य निबंधन एवं शर्तों के संबंध में बोलीदाताओं द्वारा सौंपे जाने वाली मर्दों की स्वीकृति एवं समझौते की पुष्टि करते हैं।		
2	बोलीदाता के पास परीक्षा के संवेदनशील डेटा के भंडारण के लिए भारत में अलग-अलग स्थानों पर टियर-3 डेटा केंद्र और डिजास्टर रिकवरी हेतु स्वयं की / भाड़े पर लिया हुआ केंद्र होना चाहिए।		
3	बोलीदाता के पास हस्ताक्षर युक्त स्कैन किया हुआ आईएसओ 9001 और आईएसओ 27001 (सूचना संरक्षा प्रबंधन प्रणाली मानदंड)/ एसटीक्यूसी प्रमाणपत्र की प्रतियां होनी चाहिए।		
4	कृपया पुष्टि करें कि अपेक्षित सीसीटीवी कैमरे अनुबंध-I में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार होंगे।		
5	कृपया पुष्टि करें कि परीक्षा के दौरान कम से कम एक क्यूआर कोड/बार कोड स्कैनर प्रत्येक 72 उम्मीदवारों पर प्रति व्यक्ति एकीकृत हैंड-होल्ड पोर्टेबल डिवाइस/टेबलेट होगा।		

\* बोलीदाता को अनिवार्यतः अलग शीट पर संदर्भ पृष्ठ संख्या के साथ सभी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराना होगा

निविदा दस्त आवेज की शर्तों से संबंधित कार्यकलापों/कार्य-क्षेत्र में निम्नलिखित अंतर हैं:-

<b>दिनांक:</b>	<b>हस्ताक्षर:</b>
<b>फर्म का नाम:</b>	
<b>कर्मपनी की मुहर:</b>	

## अनुबंध-III

हमने, \_\_\_\_\_ (फर्म का नाम और पता) आपके दिनांक \_\_\_\_\_ के नि.आ.सू. के प्रत्युत्तर में, उक्त निविदा हेतु एक तकनीकी और वित्तीय बोली प्रस्तुत की है। जैसा कि नि.आ.सू. के तहत अपेक्षित है, हम एतद्वारा निम्नानुसार प्रमाणित करते हैं: -

1. कि निविदा के सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार्य हैं।
2. यह कि मुझे/हमें तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान आय / धन को छिपाने के लिए दंडित नहीं किया गया है या दोषी नहीं ठहराया गया है।
3. कि हम नि.आ.सू. में निर्दिष्ट कार्य क्षेत्र को पूरी तरह से समझते हैं और बोली पूर्ण रूप से कार्य क्षेत्र के अनुसार ही है।
4. कि हमें पिछले पांच वर्षों में किसी भी संगठन/ बोर्ड/ परिषद/ विश्वविद्यालय/ आयोग और किसी अन्य सरकारी/ पीएसयू/ सरकारी उपक्रम संगठन द्वारा प्रतिबंधित/ ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)  
फर्म/ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का दूरभाष सं.

वचनपत्र

हम \_\_\_\_\_ (फर्म का नाम) एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि हमारे पास, इस दस्तावेज के अनुबंध-क में यथा उल्लिखित 15 केंद्रों पर एक ही स्लॉट में 20,000 उम्मीदवारों के लिए बायोमेट्रिक कैप्चरिंग और प्रमाणीकरण, उम्मीदवारों के डिजिटल फिंगरप्रिंट कैप्चरिंग, ई-एडमिट कार्ड की क्यूआर कोड स्कैनिंग और यूपीएससी परीक्षा / भर्ती परीक्षण वालों स्थलों पर लाइव सीसीटीवी निगरानी के संबंध में प्रायोगिक परियाजना (पायलट प्रोजेक्ट) संचालित करने की क्षमता है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)  
फर्म/बोलीदाता का नाम और पता  
फोन नंबर \_\_\_\_\_

घोषणापत्र

मैं ..... सुपुत्र/सुपुत्री श्री..... एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी फर्म के किसी भी कर्मचारी का कोई भी संबन्धी संघ लोक सेवा आयोग (सं.लो.से.आ.), नई दिल्ली में नियुक्त नहीं है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत/असत्य है तो सं.लो.से.आ. को बिना किसी पूर्व सूचना के कोई भी उचित समझी जाने वाली कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांक: \_\_\_\_\_

(फर्म की मुहर के साथ बोलीदाता  
के दिनांकित हस्ताक्षर)  
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का फोन नंबर

**वित्तीय बोली/मूल्य अनुसूची**  
(केवल बीओक्यू प्रारूप में अपलोड करने हेतु)

क्र.सं.	विवरण	प्रति उम्मीदवार प्रति पाली दर (रुपए में)*	निविदा की तिथि को कर की यथालागू दर % प्रतिशत में	कुल (कर सहित)
1.	उम्मीदवार का बायोमेट्रिक प्रमाणन/ डिजिटल फिंगरप्रिंट कैप्चरिंग			
2.	ई-प्रवेश पत्र की क्यूआर कोड स्कैनिंग			
3.	परीक्षा/भर्ती परीक्षण* के दौरान लाइव सीसीटीवी निगरानी			
4	कुल			

\* क्रम सं.3 के संबंध में दर “प्रति कैमरा प्रति पाली” उद्धृत की जानी चाहिए एवं “प्रति उम्मीदवार प्रति पाली” नहीं।

**टिप्पणी :**

1. दरों को कर छोड़ कर उद्धृत किया जाना चाहिए। बोली प्रस्तुत करने के समय यथा प्रयोज्य करों को दरों के साथ अलग से दर्शाया जाए, ऐसा न करने पर, उद्धृत दरों को करों सहित मान लिया जाएगा और इस कार्यालय द्वारा करों को शामिल करने संबंधी आगे किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. वित्तीय मूल्यांकन हेतु करों को ध्यान में रखा जाएगा।
3. भुगतान के समय लागू कर की प्रभावी दर को ध्यान में रखते हुए भुगतान किया जाएगा।

जांचसूची

क्र. सं.	विवरण	क्या संलग्न की गई/ नहीं	पृष्ठ सं.
1.	क या 2,00,000/- रु. की धरोहर जमा राशि संलग्न की गई है	हां/नहीं	
2.	क या पैन कार्ड की प्रति संलग्न है	हां/नहीं	
	क्या माल एवं सेवा कर पंजीयन प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न है.	हां/नहीं	
3.	क या पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 की आय कर विवरणी की प्रति संलग्न है	हां/नहीं	
4.	क या पूर्ववर्ती तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 की फर्म की लेखा परीक्षित बैलेंस शीट, लाभ तथा हानि खाता की प्रतियां संलग्न की गई है।	हां/नहीं	
5.	क या कंपनी के निगमीकरण का प्रमाणपत्र संलग्न है	हां/नहीं	
6.	क या विगत पांच वर्षों के कार्य आदेश और कार्य सम्पूर्णता प्रमाणपत्र की प्रतियां संलग्न की गई है।	हां/नहीं	
7.	क्या आईएसओ 9001 और आईएसओ 27001 (सूचना संरक्षा प्रबंधन प्रणाली मानक)/एसटीक्यूसी प्रमाणपत्र संलग्न है।	हां/नहीं	
8.	क या, कार्य क्षेत्र (अनुबंध-I) के संदर्भ में अनुपालन रिपोर्ट (अनुबंध-II पर दिए गए अनुसार) संलग्न की गई है।	हां/नहीं	
9.	क्या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र (अनुलग्नक-III के अनुसार) की प्रति संलग्न है।	हां/नहीं	
	क्या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित वचनपत्र (अनुलग्नक-III के अनुसार) की प्रति संलग्न है।	हां/नहीं	
10.	क्या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित घोषणापत्र की प्रति (अनुलग्नक-IV के अनुसार) संलग्न है।	हां/नहीं	

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
दूरभाष सं./मोबाइल सं./फैक्स सं. सहित फर्म का नाम एवं पता



## ऑन-लाइन बोली प्रस् तुत करने संबंधी अनुदेश

बोलीदाताओं को वैध डिजिटल हस् ताक्षर प्रमाण पत्र का प्रयोग करते हुए सी.पी.पी. पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बोलियों की सॉफ्ट प्रतियां प्रस् तुत करना अपेक्षित है। नीचे दिए गए अनुदेशों का तात्पर्य सी.पी.पी. पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए, अपेक्षानुसार अपनी बोलियां तैयार करने तथा सी.पी.पी. पोर्टल पर उनकी बोलियों को ऑन-लाइन प्रस् तुत करने में बोलीदाताओं की सहायता करना है।

सी.पी.पी. पोर्टल पर ऑन-लाइन बोलियां प्रस् तुत करने के लिए और अधिक उपयोगी जानकारी <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> से प्राप्त की जा सकती है।

### **पंजीकरण :**

1. बोलीदाताओं को सी.पी.पी. पोर्टल पर "ऑन-लाइन बोलीदाता एनरॉलमेंट" लिंक पर क्लिक करके केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल (URL : <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>) के ई-प्रापण मॉड्यूल पर नामांकन (एनरॉल) करना अपेक्षित है जो कि निःशुल्क है
2. एनरॉलमेंट प्रक्रिया के भाग के तहत बोलीदाताओं को यूनिक यूजरनेम का चयन तथा अपने अकाउंट के लिए पासवर्ड नियत करना अपेक्षित होगा।
3. बोलीदाताओं को पंजीकरण प्रक्रिया के तहत अपने वैध ई-मेल आई.डी. तथा मोबाइल नं. को रजिस्टर करने की सलाह दी जाती है। इसे सीपीपी. पोर्टल से किसी भी प्रकार के संप्रेषण के लिए प्रयोग में लाया जाएगा।
4. एनरॉलमेंट हो जाने पर, बोलीदाताओं को अपने प्रोफाइल सहित सी.सी.ए. इण्डिया द्वारा मान्यता प्राप्त (अर्थात् सीफी/टी.सी.एस./एनकोड/ई-मुद्रा, आदि) किसी प्रमाणिक प्राधिकरण द्वारा जारी अपने वैद्य डिजिटल हस् ताक्षर प्रमाणपत्र (साइनिंग कुंजी यूसेज सहित श्रेणी-॥ या श्रेणी-॥ प्रमाणपत्र) को पंजीकृत करना अपेक्षित होगा।
5. बोलीदाता द्वारा केवल एक वैध डी.एस.सी. पंजीकृत किया जाए। कृपया नोट कर लें कि बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि उन्हें अपने अपना डी.एस.सी. किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया है, जो इसका दुरुपयोग कर सकता है।
6. बोलीदाता उसके बाद सुरक्षित लॉग-इन के माध्यम से अपना यूजर आईडी/पासवर्ड और डीएससी/ई-टोकन का पासवर्ड प्रविष्ट कर साइट पर लॉग इन करें।

## निविदा दस् तावेज़ के लिए सर्च करना :

1. सी.पी.पी. पोर्टल पर विभिन्न खोज विकल्प मौजूद है, जो कई मानदंडों द्वारा सक्रिय निविदाओं की सर्च हेतु बोलीदाताओं को सुविधा प्रदान की गई है। इन मानदंडों में निविदा आईडी, संगठन का नाम, अवस्थिति, तारीख, मूल्य आदि शामिल किए जा सकते हैं। निविदा की उन्नत खोज (एडवांस्ड सर्च) के लिए भी विकल्प मौजूद है जिसमें बोलीदाता सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की खोज के लिए कई सर्च पैरामीटरों जैसे संगठन का नाम, निविदा का फार्म, अवस्थिति, तारीख, अन्य कीवर्ड आदि संयोजित कर सकते हैं।
2. एक बार अपनी रुचि की निविदा का चयन करने के बाद बोलीदाता अपेक्षित दस् तावेज़/निविदा कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। ये निविदाएं संबंधित 'माई टेंडर' फोल्डर में ले जाई जा सकती हैं। यह सी.पी.पी. पोर्टल को निविदा दस् तावेज़ के संबंध में जारी होने वाले शुद्धि पत्र की जानकारी बोलीदाताओं को एस.एम.एस./ई-मेल के माध्यम से देने में समर्थ करता है।
3. यदि बोलीदाता हैल्प डैस्क से किसी प्रकार का सफ़्टवेयर/टीकरण/मदद चाहते हैं तो उन्हें प्रत्येक निविदा के लिए दिए गए यूनिक निविदा आईडी को नोट कर लेना चाहिए।

## बोली तैयार करना :

- 1) बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले निविदा दस् तावेज़ में प्रकाशित शुद्धिपत्र को ध्यान में रखना चाहिए।
- 2) कृपया बोली में प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस् तावेज़ों को समझने के लिए निविदा विज्ञापन तथा निविदा दस् तावेज़ों को सावधानीपूर्वक अच्छी तरह से पढ़ लें। कृपया लिफाफों की संख्या, जिनमें बोली दस् तावेज़ प्रस्तुत किए जाने हैं, प्रत्येक दस् तावेज़ जिन्हें प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है, का नाम तथा विषयवस्तु सहित दस् तावेज़ों की संख्या नोट कर लें। इसमें किसी भी प्रकार का अंतर होने की स्थिति में बोली अस्वीकृत की जा सकती है।
- 3) बोलीदाता को अग्रिम रूप में निविदा दस् तावेज़/अनुसूची में यथानिर्दिष्ट बोली दस् तावेज़ों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार करना चाहिए और साधारणतया ये दस् तावेज़ पीडीएफ/एक सएलएस/ आरएआर/ डीडब्ल्यूएफ/ जे.पी.जी. फॉर्मेट में होने चाहिए। बोली दस् तावेज़ों को श्वेत तथा श्याम विकल्प सहित **100 डी.पी.आई.** के साथ स्कैन करे जो स्कैन किए गए दस् तावेज़ों के आकर को छोटा करने में मदद करता है।
- 4) मानक दस् तावेज़ों के अपलोड करने में लगने वाले अपेक्षित समय एवं प्रयास को कम करने के लिए, जिसे प्रत्येक बोली में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, ऐसे मानक दस् तावेज़ों (उदाहरणार्थ पैन कार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र आदि) को अपलोड करने का प्रावधान बोलीदाताओं के लिए उपलब्ध है। ऐसे दस् तावेज़ों को अपलोड करने के लिए बोलीदाता "माई स्पेस" या "अन्य महत्वपूर्ण दस् तावेज़" क्षेत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जो उनके पास उपलब्ध है। बोली प्रस्तुत करते समय इन दस् तावेज़ों को सीधे "माई स्पेस" पर प्रस्तुत कर सकते हैं और इन्हें बार-बार अपलोड

करने की आवश्यकता नहीं है। यह बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय को अपेक्षित रूप से कम करेगा।

### बोली प्रस्तुत करना :

- 1) बोलीदाता को बोली प्रस्तुत करने के लिए अग्रिम रूप में साईट पर लॉग-इन करना चाहिए ताकि वे बोली को समय पर अर्थात् बोली प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख को या उससे पहले अपलोड कर सकें। अन्य मुद्दों के कारण होने वाली किसी भी देरी के लिए बोलीदाता जिम्मेदार होंगे।
- 2) बोलीदाता को निविदा दर आवेज में इंगित किए गए अनुसार अपेक्षित बोली दर आवेजों को एक-एक कर अपलोड कर डिजिटल हस्ताक्षर करने हैं।
- 3) बोलीदाता को निविदा दर आवेज में यथा लागू निविदा शुल्क/ धरोहर जमा राशि का भुगतान करने के लिए "ऑफलाइन" भुगतान विकल्प का चयन करना होगा और भुगतान मोड का विवरण प्रविष्ट करना होगा।
- 4) बोलीदाता को निविदा दर आवेज में विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार धरोहर जमा राशि तैयार करनी चाहिए। मूल दर आवेज डाक/कुरियर/संबंधित अधिकारी को तत्काल रूप से बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख या निविदा दर आवेज में यथावर्णित तारीख तक भेजा जाना चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट/कोई अन्य स्वीकृत माध्यम या तत्काल रूप से भेजे गए विवरणों का मिलान स्कैन की गई प्रति में उपलब्ध विवरण तथा बोली प्रस्तुत करने के दौरान प्रविष्ट किए गए डाटा से कर लेना चाहिए अन्यथा अपलोड की गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 5) बोलीदाताओं से यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि उन्हें अनिवार्य रूप से प्रदान किए गए फार्मेट में ही अपनी वित्तीय बोलियों को जमा करना है तथा कोई अन्य फार्मेट स्वीकार्य नहीं है। यदि बोली मूल्य, निविदा दर आवेज के साथ मानक बीओक्यू फार्मेट में दिया गया है, तो उसे डाउनलोड करने और सभी बोलीदाताओं द्वारा भरा जाना चाहिए। बोलीदाताओं को बीओक्यू फाइल डाउनलोड करना अपेक्षित है। इसे खोलें और अपने संबंधित वित्तीय उद्धरण तथा अन्य विवरणियों (जैसे बोलीदाता का नाम) सहित सफेद रंग की (असुरक्षित) सेल्स को पूरा करें। किसी अन्य सेल्स को परिवर्तित न करें। एक बार विवरणियों के पूरा हो जाने पर बोलीदाता को इसे सेव कर लेना चाहिए और फाइल के नाम को परिवर्तित किए बिना इसे ऑनलाइन प्रस्तुत कर दें। यदि बीओक्यू फाइल बोलीदाता द्वारा परिवर्तित की गई पाई जाती है तो बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।
- 6) सर्वरटाइम (जिसे बोलीदाता के डैश बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया है) को भी बोलीदाता द्वारा बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख, बोलियों को खोलना आदि के संदर्भ के लिए मानक समय माना जाएगा। बोलीदाताओं को बोली के प्रस्तुतीकरण के दौरान इस समय का अनुपालन करना चाहिए।

- )7( बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज़ एन्क्रिप्शन तकनीक पी.के.आई. का प्रयोग करते हुए एन्क्रिप्टेड होंगे ताकि डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके। बोली खोले जाने के समय तक प्रविष्ट किए गए डेटा को अनधिकृत व्यक्ति तयों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। एन्क्रिप्शन प्रौद्योगिकी के 128 बिट सुरक्षित सॉकेट लेयर का प्रयोग करते हुए बोली की गोपनीयता को अनुरक्षित किया गया है। संवेदनशील क्षेत्रों का डेटा स्टोरेज इन्क्रिप्शन किया गया है। प्रणाली जनित सिमेट्रिक 'की', का उपयोग करते हुए सर्वर पर अपलोड किया गया कोई भी बोली दस्तावेज़ सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन के अधीन है। इसके अतिरिक्त यह 'की' क्रेता/बोली खोलने वाली सार्वजनिक 'की' का प्रयोग करते हुए एसमेट्रिक एन्क्रिप्शन के अधीन है। समग्र रूप से अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ प्राधिकृत बोली खोलने वाले के द्वारा निविदा खोलने के बाद ही पठनीय होंगे।
- )8( अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़, बोली खोलने वाले प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा निविदा को खोले जाने के बाद ही पठनीय होंगे।
- )9( बोली का सफल तथा समयबद्ध तरीके से प्रस्तुतीकरण (अर्थात् पोर्टल में "फ्रीज़ बिड सबमिशन" को क्लिक करने के बाद) होने पर पोर्टल सफल बोली प्रस्तुतीकरण संदेश देगा और बोली सं. और अन्य सभी संगत विवरण सहित बोली को प्रस्तुत करने की तारीख एवं समय के साथ बोली सारांश प्रदर्शित हो जाएगी।
- (10) - बोली सारांश को मुद्रित किया जाना अपेक्षित है और बोली प्रस्तुतीकरण की पावती के रूप में इसे रख लें। इस पावती को बोली खोलने से संबंधित किसी भी बैठक के लिए प्रविष्टि पास के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है।

### **बोलीदाताओं को सहायता**

- )i( निविदा दस्तावेज़ और उनमें निहित निबंधन एवं शर्तों से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में उल्लिखित संगत संपर्क अधिकारी को संबोधित पत्र भेज कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है
- )ii( ऑन-लाइन बोली प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ या सामान्य रूप से सी.पी.पी. पोर्टल से संबंधित प्रश्न के लिए 24X7 सी.पी.पी. पोर्टल हेल्प डेस्क से की जा सकती है। हेल्प डेस्क के लिए 1800 3070 2232 पर संपर्क की जा सकती है। बोलीदाता +91-7878007972 एवं +91-7878007973 से भी सहायता ले सकते हैं।